Super Thermal Power Station in Madhya Pradesh

5378. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government propose to establish some Super Thermal Power Stations in Madhya Pradesh to solve the acute power shortage in the State;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, in what manner Government propose to meet the acute power shortage in Madhya Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHIMANBHAI PATEL): (a) to (c) Government of India has recently accorded investment approval for the setting up of Vindhyachal Super Thermal Power Project Stage-II (2×500 MW) in distict Sidhi of Madhya Pradesh. The Project will be implemented by National Thermal Power Corporation (NTPC). Award for the main plant contract for this project has been placed. Unit-I of the project is scheduled to be commissioned by February, 2000 and Unit II by February, 2001.

Power from this project will be supplied to various beneficiaries in Western Region, including Madhya Pradesh, as per Central formula. According to the Bulk Power Supply Agreement (BPSA) signed by NTPC with these beneficiaries, Madhya Pradesh has been allotted 306 MW (30.6%) of the generating capacity of this project. Further, Madhya Pradesh has been allocated power from other completed projects of NTPC in the Western Region. Allocation from these power plants and actual drawal by Madhya Pradesh during 1994-95 are as follows:—

	Installed Capacity	Allocation		Actual Drawal in Madhya Pradesh 1994-95	
	MW	MW	%	MU	%
Korba STPP (In Madhya Pradesh)	2100	610	29.04	5597.71	42.7
Vindhyachal STPP St. I (in Madhya Pradesh)	1260	385	30.55	3471.00	44.3
Kawas GPP (in Gujarat)	645	137	21.24	734.31	45.1

Further, out of the Gandhar Gas Power Project (648 MW) in Gujarat, where units have been commissioned but are under stabilisation, Madhya Pradesh has an allocated share of 116 MW, *i.e.* 17.9% of the total installed capacity.

"ग्लोबल बिडिंग फार टिहरी परियोजना" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार

5379. श्री राम जेठमलानी:
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 अप्रैल, 1995 के दैनिक "पायोनियर" में "ग्लोबल बिडिंग फार टिहरी प्रोजैक्ट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि टिहरी परियोजना के लिए अपेक्षित उपस्करों की आपूर्ति के संबंध में रूस के बजाय अन्य बाहरी देशों से पेशकश प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा टिहरी परियोजना के संबंध में रूस के साथ पहले लिए गए समझौते से हटकर उपरोक्त कदम उठाये जाने के कारण क्या हैं; और

(ङ) टिहरी परियोजना के निर्माण में अब रूस से भागीदारी की कितनी प्रतिशत होने का अनुमान है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सिमनभाई पटेल): (क) से (ङ) टिहरी जल विद्युत परियोजना (2×100 मे०वा०) को प्रारम्भ में तत्कालीन सोवियत संघ सरकार की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से टर्न-की आधार पर तीन चरणों में पूरा करने क्रियान्वित करने की योजना थी। तथापि, सोवियत संघ के विघटित हो जाने से टिहरी परियोजना के लिए सोवियत रूस की सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह निर्णय लिया गया है कि उपलब्ध घरेलू संसाधनों एवं विदेशी वित्तपोषण के जरिये मशीनरी एवं उपस्कर प्राप्त करके चल रही टिहरी जल विद्युत परियोजना (1000 मे०वा० (टिहरी कामप्लैक्स का चरण-1) का सिविल निर्माण कार्य जारी रखा जाए।

निर्माणाधीन टिहरी जल विद्युत परियोजना के लिए इलेक्ट्रो-मैकेनिकल उपस्कर सप्लाई करने और वित्त पोषण करने हेतु एक एशियन कंसोर्टियम, जिसमें रूस और उक्रेन के विनिर्माता शामिल हैं, ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव के बारे में टिहरी जल विद्युत विकास निगम, जोकि परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है, से द्वारा बातचीत की जा रही है, लेकिन टीएचडीसी की संतुष्टि के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से कार्य निष्पादन गारंटी उपलब्ध कराए जाने में कंसोर्टियम द्वारा व्यक्त की गई असमर्थता को मुद्देनजर रखते हुए, उनके आगे लिए जाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता

5380. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त विद्युत क्षमता उत्पन्न की गई है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1995 के अन्त तक देश में विभिन्न राज्यों में कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन राज्यों में विद्युत उत्पादन के लिए संस्थापित क्षमता का पूर्णतया उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो वर्ष 1994 के दौरान इन राज्यों में से प्रत्येक राज्य द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए संस्थापित विद्युत क्षमता की कितनी औसत प्रतिशतता का प्रयोग किया गया;

(ङ) क्या यह भी सच है कि पूर्ण संस्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग न होने की स्थिति में विद्युत उत्पादन की लागत हमेशा अधिक होती है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती उर्मिला सिमनभाई पटेल): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 31.01.95 की स्थिति के अनुसार यूटिलिटियों के अधीन विद्युत संयंत्रों की कुल अखिल भारतीय अधिष्ठापित क्षमता 78932.41 मे०वा० थी।

(ग) और (घ) वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों में ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात अर्थात् क्षमता समुपयोजन का प्रतिशत नीचे दिया गया है:—

राज्य	पी०एल०एफ (%)
दिल्ली	66.0
हरियाणा	44.7
राजस्थान	75.6
पंजाब	56.7
उत्तर प्रदेश	58.8
गुजरात	61.3
महाराष्ट्र	61.1
मध्य प्रदेश	68.5
आन्ध्र प्रदेश	74.9
कर्नाटक	64.9
तमिलनाडु	64.7
बिहार	20.0
उड़ीसा	29.0
पश्चिम बंगाल	57.0
असम	26.7

(ङ) और (च) अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न कारणों जैसे, संयंत्र अनुरक्षण, उपस्कर खराबी बंदिशों और प्रणाली भार परिवर्तनों के कारण ताप विद्युत केन्द्रों का